[2021] 9 एस.सी.आर. 359

श्री के. जयराम और अन्य

बनाम

बैंगलोर विकास प्राधिकरण और अन्य

(2021 की सिविल अपील संख्या 7550-7553)

08 दिसंबर, 2021

[न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर और कृष्णा मुरारी]

भूमि अधिग्रहण - न्याय का प्रशासन - कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग - भौतिक तथ्यों का दमन - अपीलकर्ताओं के पिता के पास एक गांव में दो सर्वेक्षण संख्याओं में 1 एकड़ 26 गुंटा भूमि का कब्जा था - उक्त भूमि को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए बैंगलोर विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण के लिए अधिसूचित किया गया था - अपीलकर्ताओं के अनुसार, 8 गुंटा भूमि अधिग्रहण से छूट गई थी - अपीलार्थियों ने तर्क दिया कि उन्हें बैंगलोर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि के इस 8 गुंटे में स्थलों के गठन के बारे में जानकारी नहीं थी और उन्होंने प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 के पक्ष में उक्त स्थलों का आवंटन किया - उन्होंने उक्त स्थलों के आवंटन को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की - बैंगलोर विकास प्राधिकरण ने आपत्तियों का विवरण दाखिल करते हुए तर्क दिया कि भूमि बैंगलोर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1971 में अधिनिर्णय की गई थी - माना जाता है कि अपीलकर्ताओं को अधिनिर्णय राशि 30.11.1971 को प्राप्त हुई थी - अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी होने और अधिनिर्णय राशि प्राप्त होने के 34 वर्ष बीत जाने के बाद, अपीलकर्ताओं ने झूठे और तुच्छ आधारों पर उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएँ दायर की हैं - इससे पहले, अपीलकर्ताओं ने बैंगलोर विकास प्राधिकरण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा भी दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि 8 गुंटा भूमि बैंगलोर विकास प्राधिकरण द्वारा अधिनिर्णय नहीं की गई थी - विचारण न्यायालय ने मुकदमे को खारिज कर दिया था – उच्च न्यायालय द्वारा एक अपील खारिज कर दी गई थी - अपीलार्थियों ने रिट याचिका में मुकदमे को खारिज करने और अपील का खुलासा नहीं किया है - इसके बाद, रिट याचिका को भी उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया - एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली रिट अपील को

उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने खारिज कर दिया था और समीक्षा याचिकाओं को भी बाद में उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था - अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया : पक्षों को विवाद के विषय के किसी भी हिस्से से संबंधित सभी कानूनी कार्यवाही और मुकदमों के विवरण का खुलासा करना होगा जो उनकी जानकारी में है - चूंकि, अपीलार्थियों ने वाद दायर करने और उसके खारिज होने और रिट याचिका में सिविल न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील खारिज होने का खुलासा नहीं किया है, इसलिए अपीलार्थियों को भौतिक तथ्यों के दमन के आधार पर गैर-उपयुक्त होना चाहिए - वे न्यायालय में साफ हाथों से नहीं आए हैं और उन्होंने कानून की प्रक्रिया का भी दुरुपयोग किया है - इसलिए, वे असाधारण, न्यायसंगत और विवेकाधीन राहत के हकदार नहीं हैं-इसके अलावा, पूरे 5 एकड़ 9 गुंटा (अपीलार्थियों की भूमि सहित) के संबंध में अधिसूचना जारी की गई थी और भूमि का कब्जा बहुत पहले ले लिया गया था – बैंगलोर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड से पता चलेगा कि 08 गुंटा भूमि खरब- ख भूमि है - क्योंकि अधिग्रहित होने पर खरब-ख भूमि के संबंध में मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। - इसलिए इस भूमि के संबंध में मुआवजे के भुगतान का कोई सवाल ही नहीं है, हालांकि इसे प्रारंभिक और अंतिम अधिसूचना में शामिल किया गया था - इसके अलावा, उच्च न्यायालय के निष्कर्षों ने अंतिमता प्राप्त कर ली है और रिट न्यायालय अपील में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर अपील में नहीं बैठ सकता है-अपील में न्यायालय द्वारा किए गए निष्कर्ष अपीलार्थियों पर बाध्यकारी हैं।

याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा

अभिनिर्धारित किया गया : 1. बैंगलोर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि खरब- ख भूमि के 12 गुंटे सहित 5 एकड़ 9 गुंटे भूमि के पूरे विस्तार को अधिग्रहण के लिए अधिसूचित किया गया था। अपीलार्थियों के पिता ने उक्त सर्वेक्षण संख्या में 1 एकड़ 26 गुंटा भूमि के मालिक होने का दावा किया था और आगे यह तर्क दिया गया था कि 1 एकड़ 18 गुंटा का अधिग्रहण किया गया है और 8 गुंटा को अधिग्रहण से छोड़ दिया गया था। आगे यह तर्क दिया गया कि बैंगलोर विकास प्राधिकरण. ने अधिग्रहण से छूट गई भूमि के उक्त 8 गुंटे में साइटों का गठन किया था और उन्हें प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 को आवंटित किया था। यह सच है कि अपीलकर्ताओं ने बैंगलोर विकास प्राधिकरण के खिलाफ अतिरिक्त सिटी सिविल कोर्ट के समक्ष मूल वाद संख्या 3936/1999 दायर किया था, जिसमें समान तथ्यों का अनुरोध करते हुए और समान आधारों का आग्रह करते हुए स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई थी। उक्त मुकदमे को विचारण न्यायालय ने खारिज कर दिया था। विचारण न्यायालय के उक्त फैसले

के खिलाफ दायर अपील को भी उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। अपीलार्थियों ने मुकदमा दायर करने, सिविल न्यायालय द्वारा इसे खारिज करने और रिट याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा उक्त फैसले की पुष्टि का खुलासा नहीं किया है। यह स्पष्ट है कि अपीलार्थियों ने इन भौतिक तथ्यों को दबा दिया है जो रिट याचिकाओं में शामिल प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक हैं। इस प्रकार, अपीलार्थी न्यायालय में साफ हाथों से नहीं आए हैं। [अनुच्छेद 11]

2. यह अच्छी तरह से तय है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता असाधारण, न्यायसंगत और विवेकाधीन है और यह अनिवार्य है कि रिट न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले याचिकाकर्ता को स्वच्छ हाथों से आना चाहिए और कुछ भी छिपाने या दबाने के बिना सभी तथ्यों को न्यायालय के सामने रखना चाहिए। एक वादी उन सभी तथ्यों को बताने के लिए बाध्य है जो मुकदमे से संबंधित हैं। यदि वह दूसरे पक्ष पर लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण या प्रासंगिक सामग्री को रोकता है तो वह न्यायालय के साथ-साथ विरोधी पक्षों के साथ धोखाधड़ी करने का दोषी होगा जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। [अनुच्छेद 12]

3. यहां यह बताना आवश्यक है कि एक ही विषय-वस्तु से संबंधित कार्यवाहियों की बहुलता को रोकने के लिए और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चुप रहकर या भ्रामक बयान देकर भौतिक तथ्यों को दबाकर विभिन्न न्यायिक मंचों के माध्यम से असंगत आदेशों की मांग करने के खतरे को रोका जाए। झूठा बयान देने के दायित्व से बचने के लिए दलीलें, इस न्यायालय का विचार है कि पक्षकारों को विवाद के विषय के किसी भी भाग से संबंधित सभी कानूनी कार्यवाहियों और मुकदमों के विवरण का खुलासा करना होगा, जो उनकी जानकारी में है। यदि विवाद के पक्षों के अनुसार, कोई कानूनी कार्यवाही या अदालती मुकदमेबाजी लंबित नहीं थी या है, तो उन्हें कानून के अनुसार पक्षों के बीच विवाद को हल करने के लिए अपने अभिवचनों में अनिवार्य रूप से यह बताना होगा। [अनुच्छेद 16]

4. वर्तमान मामले में, चूंकि अपीलकर्ताओं ने वाद दायर करने और उसकी बर्खास्तगी का खुलासा नहीं किया है और सिविल न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील को खारिज करने का भी खुलासा नहीं किया है, इसलिए अपीलकर्ताओं को भौतिक तथ्यों के दमन के आधार पर गैर-उपयुक्त होना चाहिए। वे

न्यायालय में साफ-सुथरे हाथों से नहीं आए हैं और उन्होंने कानून की प्रक्रिया का भी दुरुपयोग किया है। इसलिए, वे असाधारण, न्यायसंगत और विवेकाधीन राहत के हकदार नहीं हैं। [अनुच्छेद 17]

5. उपरोक्त के अलावा, इस न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर भी मामले की जांच की है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, सर्वेक्षण संख्या 13 में 5 एकड़ 9 गुंटे हैं, जिनमें से 12 गुंटे खरब- ख भूमि हैं। पूरे 5 एकड़ 9 गुंटे के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई थी और भूमि का कब्जा बहुत पहले ले लिया गया था। अपीलार्थियों का तर्क है कि उनके पिता सर्वेक्षण संख्या 13/2 और 13/4 में 1 एकड़ 26 गुंटा भूमि के स्वामी थे। उनके अनुसार, 08 गुंटा भूमि का अधिनिर्णय नहीं किया गया है और इस भूमि के संबंध में मुआवजा नहीं दिया गया है। बैंगलोर विकास प्राधिकरण. द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों से पता चलता है कि 08 गुंटा भूमि खरब-ख भूमि है। इसलिए, इस भूमि के संबंध में मुआवजे के भुगतान का कोई सवाल ही नहीं है, हालांकि, इसे प्रारंभिक और अंतिम अधिसूचना में शामिल किया गया था। अंतिम अधिसूचना वर्ष 1967 में ही जारी की गई थी। अपीलार्थियों ने 1 एकड़ 18 गुंटा भूमि के लिए भी बढ़े हुए मुआवजे का दावा किया है और उन्होंने लगभग 34 वर्षों के अंतराल के बाद इस मुद्दे को अत्यधिक विलंबित स्तर पर उठाया है। [अनुच्छेद 18]

6. उच्च न्यायालय के निष्कर्ष अंतिम रूप ले चुके हैं और रिट न्यायालय अपील में उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले पर अपील नहीं कर सकती है। अपील में न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष अपीलकर्ताओं पर बाध्यकारी हैं। [अनुच्छेद 20]

> प्रेस्टीज लाइट्स लिमिटेड बनाम भारतीय स्टेट बैंक **(2007) 8 एससीसी 449: [2007] 9 एस. सी. आर. 112**; उद्यमी एवं खादी ग्रामोद्योग कल्याण संस्था और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य **(2008) 1 एससीसी 560: [2007] 12 एससीआर 933;** के.डी शर्मा बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य **(2008) 12 एससीसी 481: [2008] 10 एससीआर 454 - पर भरोसा किया।**

<u>निर्णय विधि संदर्भ</u>

[2007] 9 एस.सी.आर. 112	**पर निर्भर था।**	**अनुच्छेद 13**
[2007] 12 एस.सी.आर. 933	**पर निर्भर था।**	**अनुच्छेद 14**
[2008] 10 एस. सी. आर. 454	**पर निर्भर था।**	**अनुच्छेद 15**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 7550 – 7553/2021।

रिट अपील संख्या 2592-2593/2009 और 2012 की पुनरीक्षण याचिका संख्या 147 और 1361 में दिनांक 11.01.2013 के आदेश में बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 06.07.2011 से।

प्राध्यापक रविवर्मा कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुभाष चंद्र सागर, ई.सी. विद्या सागर, यतीश मोहन, अचिंत्य तिवारी, अपीलार्थियों के अधिवक्ता।

एस. के. कुलकर्णी, एम. गिरीश कुमार, अंकुर एस. कुलकर्णी, सुश्री उदिता चक्रवर्ती, सौम्यजीत पानी, विनोद कन्ना बी, गिरीश अनंतमूर्ति, श्रीमती वैजयंती गिरीश, प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय

एस. अब्दुल नजीर, न्यायाधीश

1. अनुमति प्रदान दी गई।

2. ये अपीलें कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पुनरीक्षण याचिका संख्या 147/2012 और 1361/2012 में पारित दिनांक 11.01.2013 के निर्णय और आदेश से उत्पन्न होती हैं, जो अपीलार्थियों

द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.02.2012 के आदेश द्वारा दी गई स्वतंत्रता के अनुसरण में दायर की गई थीं, जबकि अपीलार्थियों को अपनी विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 6125-6126/2012 को वापस लेने की अनुमति दी गई थी। तथापि, उच्च न्यायालय ने रिट अपील सं. 2592-93/2009 में पारित दिनांक 06.07.2011 के अपने पूर्व आदेश की पुनर्विलोकन करने से इनकार कर दिया।

3. इन अपीलों के निस्तारण हेतु आवश्यक संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

4. यहां अपीलकर्ता एम. कृष्णा रेड्डी के बेटे हैं। उन्होंने बिन्नमंगला द्वितीय चरण के रूप में जाने जाने वाले लेआउट में क्रमशः प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 के पक्ष में आवंटित साइट संख्या 1337 और 1336 के आवंटन को रद्द करने और कुछ अन्य राहतों के लिए बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष 2005 की रिट याचिका संख्या 26920 दायर की। अपीलार्थियों के अनुसार उनके पिता एम कृष्णा रेड्डी सर्वेक्षण संख्या 13 के मालिक थे और उनके कब्जे में बिन्नामंगला गांव, कासाबा होबली, उत्तरी तालुक, बैंगलोर जिले के 1 एकड़ 26 गुंटा जमीन थी, मैसूर (पर्सनल) की धारा 5 के तहत सी नंबर 11/59-60 की कार्यवाही में इनाम उन्मूलन के लिए उपायुक्त द्वारा पारित एक आदेश के आधार पर इसे हासिल किया गया है। यह भी संतोषजनक था कि भूमि सूचकांक और अधिकारों के अभिलेख में प्रविष्टियां एम. कृष्णा रेड्डी के नाम पर दर्ज की गई थीं और वह राज्य सरकार को भूमि राजस्व का भुगतान कर रहे थे। ओल्ड मद्रास रोड और बनासवाड़ी रोड (बिन्नमंगला अभिन्यास) के बीच अभिन्यास के निर्माण के लिए उक्त भूमि को बैंगलोर विकास प्राधिकरण (संक्षेप में 'बैंगलोर विकास प्राधिकरण') द्वारा अधिग्रहण के लिए अधिसूचित किया गया था। प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 21.07.1960 को मैसूर राजपत्र में प्रकाशित की गई और उसके बाद अंतिम अधिसूचना 23.02.1967 को उक्त राजपत्र में प्रकाशित की गई।

5. यह भी तर्क दिया गया कि एम. कृष्णा रेड्डी ने मुआवजे में वृद्धि के लिए एक आवेदन दायर किया था, जिसके अनुसार अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 18 के तहत मामले को सिविल न्यायालय को भेज दिया। सिविल न्यायालय ने जांच करने के पश्चात् संदर्भ को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और सर्वेक्षण संख्या 13/2 और 13/4 में 1 एकड़ 18 गुन्टों के संबंध में

देय अधिनिर्णय राशि को बढ़ा दिया। इन दो सर्वेक्षण संख्या में एम कृष्णा रेड्डी के पास 1 एकड़ 26 गुंटा भूमि थी। अधिग्रहण से 8 गुंटा भूमि छूट गई थी। तीसरे अपीलार्थी द्वारा विभाजन के लिए दायर वाद में, सर्वेक्षण सं. 13/2 के 8 गुंटा भूमि को मापने वाले भाग को, जो अधिग्रहण से छूट गया था, चार स्थल बनाकर अपीलार्थियों के बीच विभाजित किया गया था और विभाजन के लिए अंतिम डिक्री 30.07.1982 को पारित की गई थी। आगे यह तर्क दिया गया कि उन्हें बैंगलोर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि के इस 8 गुंटे में स्थलों के गठन और प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 के पक्ष में उक्त स्थलों के आवंटन के बारे में जानकारी नहीं थी। इसलिए, उन्होंने उक्त स्थलों के आवंटन को रद्द करने के लिए उपरोक्त रिट याचिकाएं दायर कीं।

6. बैंगलोर विकास प्राधिकरण ने आपत्तियों का बयान दायर करते हुए कहा कि सर्वेक्षण संख्या 13 की माप 5 एकड़ 9 गुंटा और कुछ अन्य भूमि बैंगलोर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1971 में अधिनिर्णय की गई थी और उसके बाद साइटें बनाई गईं और आम जनता को आवंटित की गईं। माना जाता है कि, अपीलकर्ताओं को 30.11.1971 को अधिनिर्णय राशि प्राप्त हुई। अधिनिर्णय की कार्यवाही पूरी होने और अधिनिर्णय राशि प्राप्त होने के 34 वर्ष बीत जाने के बाद, अपीलार्थियों ने झूठे और तुच्छ आधारों पर उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर की हैं। यह भी तर्क दिया गया कि 5 एकड़ 9 गुंटा के बिन्नमंगला गांव के सर्वेक्षण संख्या 13 और कुछ अन्य भूमि का अधिग्रहण 'बनसवाड़ी अभिन्यास' नामक लेआउट के निर्माण के लिए सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया गया था। सर्वेक्षण संख्या 13 के संबंध में अधिसूचित खतेदार चन्नप्पा रेड्डी, रामकृष्ण रेड्डी, एन. पापैया रेड्डी और एम. कृष्णा रेड्डी थे। उनमें से किसी ने भी अधिग्रहण की कार्यवाही की वैधता पर सवाल नहीं उठाया है। अपीलकर्ताओं ने बैंगलोर विकास प्राधिकरण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा अर्थात् मूल वाद नंबर 3936/1999 दायर किया है, जिसमें तर्क दिया गया है कि बैंगलोर विकास प्राधिकरण द्वारा 8 गुंटा भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय ने दिनांक 29.01.2003 के अपने निर्णय द्वारा वाद को खारिज कर दिया। उसी से व्यथित होकर, दूसरे अपीलार्थी ने नियमित प्रथम अपील सं. 516/2003 वाली अपील दायर की जिसे उच्च न्यायालय ने 01.07.2003 को खारिज कर दिया। अपीलार्थियों ने रिट याचिका में वाद को खारिज करने और अपील का खुलासा नहीं किया है।

7. विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामले पर विस्तार से विचार करने के बाद 01.04.2009 को रिट याचिका खारिज कर दी। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विद्वत एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली रिट अपील संख्या 2592-2593/2009 को उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया था और समीक्षा याचिकाओं को भी बाद में उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था।

8. अपीलार्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रोफ़ेसर रविवर्मा कुमार का कहना है कि सर्वेक्षण संख्या 13/2 और 13/4 में 1 एकड़ 26 गुंटा भूमि शामिल है, जिसमें से राज्य सरकार ने लेआउट बनाने के लिए केवल 1 एकड़ 18 गुंटा भूमि का अधिग्रहण किया है। शेष 8 गुंटा भूमि बैंगलोर विकास प्राधिकरण के पास नहीं है, क्योंकि इसका अधिग्रहण नहीं किया गया था। चूंकि शेष 8 गुंटा भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है, इसलिए अपीलकर्ताओं ने उक्त संपत्ति को आपस में बांट लिया है और उनमें से प्रत्येक ने इस 8 गुंटा भूमि में बनी एक जगह पर कब्जा कर लिया है। यह तर्क दिया गया था कि जब उक्त 8 गुंटा भूमि का स्वयं अधिग्रहण नहीं किया गया है, तो इस भूमि में बैंगलोर विकास प्राधिकरण द्वारा स्थलों के गठन और प्रत्यर्थी संख्या 5 और 6 को इसके आवंटन का प्रश्न अवैध है।

9. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी - बैंगलोर विकास प्राधिकरण. की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एस.के. कुलकर्णी ने उच्च न्यायालय के विवादित फैसले और आदेश का समर्थन किया है। यह तर्क दिया गया था कि सर्वेक्षण संख्या 13 में पूरी तरह से 5 एकड़ 9 गुंटा भूमि शामिल थी और जिसमें से 12 गुंटा ख़राब-नरम थी। यह मैसूर राजपत्र दिनांक 23.02.1967 में प्रकाशित अंतिम अधिसूचना से स्पष्ट है। उक्त 5 एकड़ 9 गुंटा भूमि में से, अपीलार्थियों के पिता को 1 एकड़ 26 गुंटा का अधिभोग अधिकार दिया गया था। कृष्णा रेड्डी और उनके भाई की भूमि के संबंध में एक साझा अधिनिर्णय पारित किया गया था। मुआवज़ा 1 एकड़ 18 गुंटा के संबंध में दिया गया जो राजस्व देने वाली भूमि यानी गैर-खरब भूमि है। अधिनिर्णय किए जाने पर खरब- ख भूमि के संबंध में मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। खरब भूमि अधिनिर्णय राजस्व देने वाली भूमि का हिस्सा है और खरब भूमि सहित 1 एकड़ 26 गुंटा भूमि का पूरा विस्तार अधिग्रहित किया गया था। इसलिए, अपीलार्थियों को तथाकथित बची हुई भूमि के संबंध में कोई अधिकार, अधिकार और हित नहीं है। यह और संतोषजनक है कि अपीलार्थियों ने स्थायी निषेधाज्ञा के लिए बैंगलोर विकास प्राधिकरण. के विरुद्ध सिविल न्यायालय के समक्ष 1999 का ओ.एस. सं. 3936 दायर किया था। उक्त

मुक़दमे में, रिट याचिका में शामिल प्रश्न ही उठाया गया था। उक्त वाद को सिविल न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था और उच्च न्यायालय द्वारा अपील में उक्त निर्णय की पुष्टि की गई थी। अपीलार्थियों ने रिट याचिका में उपरोक्त वाद और अपील को खारिज करने का खुलासा नहीं किया है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने भौतिक तथ्यों को दबाने के सवाल पर भी अपील को सही ढंग से खारिज कर दिया है। वह अपील को खारिज करने के लिए प्रार्थना करता है।

10. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बार में की गई दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया है।

11. बैंगलोर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि खरब-ब्लैंड के 12 गुंटे सहित 5 एकड़ 9 गुंटे भूमि के पूरे विस्तार को अधिग्रहण के लिए अधिसूचित किया गया था। अपीलार्थियों के पिता एम कृष्णा रेड्डी ने उक्त सर्वेक्षण संख्या में 1 एकड़ 26 गुंटा भूमि के मालिक होने का दावा किया और आगे यह तर्क दिया गया कि 1 एकड़ 18 गुंटा का अधिग्रहण किया गया है और 8 गुंटा को अधिग्रहण से बाहर रखा गया है। आगे यह भी तर्क दिया गया कि बैंगलोर विकास प्राधिकरण ने अधिग्रहण से बची उक्त 8 गुंटा भूमि में साइटें बनाईं और उन्हें प्रत्यर्थी संख्या 5 को आवंटित कर दिया। माना जाता है कि, अपीलकर्ताओं ने बैंगलोर विकास प्राधिकरण के खिलाफ अतिरिक्त शहर सिविल न्यायालय के समक्ष ओ.एस संख्या 3936/1999 दायर किया था, जिसमें समान तथ्यों की वकालत करते हुए और समान आधारों का आग्रह करते हुए स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई थी। उक्त मुकदमे को विचारण न्यायालय ने खारिज कर दिया था। विचारण न्यायालय के उक्त फैसले के खिलाफ दायर अपील को भी उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। अपीलार्थियों ने मुकदमा दायर करने, सिविल न्यायालय द्वारा इसे खारिज करने और रिट याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा उक्त फैसले की पुष्टि का खुलासा नहीं किया है। यह स्पष्ट है कि अपीलार्थियों ने इन भौतिक तथ्यों को दबा दिया है जो रिट याचिकाओं में शामिल प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक हैं। इस प्रकार, अपीलार्थी न्यायालय में साफ हाथों से नहीं आए हैं।

12. यह अच्छी तरह से तय है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता असाधारण, न्यायसंगत और विवेकाधीन है और यह अनिवार्य है

कि रिट न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले याचिकाकर्ता को स्वच्छ हाथों से आना चाहिए और कुछ भी छिपाने या दबाने के बिना सभी तथ्यों को न्यायालय के सामने रखना चाहिए। एक वादी उन सभी तथ्यों को बताने के लिए बाध्य है जो मुकदमे से संबंधित हैं। यदि वह दूसरे पक्ष पर लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण या प्रासंगिक सामग्री को रोकता है तो वह न्यायालय के साथ-साथ विरोधी पक्षों के साथ धोखाधड़ी करने का दोषी होगा जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

13. **प्रेस्टीज लाइट्स लिमिटेड बनाम भारतीय स्टेट बैंक** [1] के मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि एक विशेषाधिकार उपचार निश्चित रूप से उपलब्ध नहीं है। असाधारण शक्ति का प्रयोग करते हुए, एक रिट न्यायालय वास्तव में उस पक्ष के आचरण को ध्यान में रखेगी जो इस तरह के अधिकार क्षेत्र का आह्वान कर रहा है। यदि आवेदक पूर्ण तथ्यों का खुलासा नहीं करता है या प्रासंगिक सामग्री को दबाता है या अन्यथा न्यायालय को गुमराह करने का दोषी है, तो न्यायालय मामले का निर्णय लिए बिना कार्रवाई को खारिज कर सकती है। यह इस प्रकार आयोजित किया गया थाः

> **"33.** इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हालांकि अपीलार्थी कंपनी ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उसने न्यायालय को सभी तथ्यों को स्पष्ट रूप से नहीं बताया था। उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विवेकाधीन और असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रहा है। इसके अलावा, कानून की न्यायालय समता की न्यायालय भी है। इसलिए, यह अत्यंत आवश्यक है कि जब कोई पक्ष उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाए, तो उसे बिना किसी आपत्ति के सभी तथ्यों को न्यायालय के समक्ष रखना चाहिए। यदि आवेदक की ओर से भौतिक तथ्यों का दमन किया जाता है या न्यायालय के समक्ष विकृत तथ्य रखे गए हैं, तो रिट न्यायालय याचिका पर विचार करने से इनकार कर सकता है और मामले के गुण-दोष में प्रवेश किए बिना इसे खारिज कर सकता है।

14**. उद्यमी एवं खादी ग्रामोद्योग कल्याण संस्थान और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** [2] में, इस न्यायालय ने दोहराया है कि रिट उपाय न्यायसंगत है और उच्च न्यायालय में आने वाले व्यक्ति को साफ हाथों के साथ आना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को नहीं छिपाना चाहिए, बल्कि बार-बार कानूनी कार्यवाही का सहारा भी नहीं लेना चाहिए, जो कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

15. **के.डी शर्मा बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य** [3] में, यह इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया थाः

"34. संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की अधिकारिता असाधारण, न्यायसंगत और विवेकाधीन है। उसमें उल्लिखित विशेषाधिकार रिट पर्याप्त न्याय करने के लिए जारी किए जाते हैं। इसलिए, यह अत्यंत आवश्यक है कि रिट न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले याचिकाकर्ता को साफ-सुथरे हाथों से आना चाहिए, कुछ भी छिपाए या दबाए बिना न्यायालय के सामने सभी तथ्यों को रखना चाहिए और उचित राहत लेनी चाहिए। यदि प्रासंगिक और भौतिक तथ्यों का कोई स्पष्ट खुलासा नहीं होता है या याचिकाकर्ता न्यायालय को गुमराह करने का दोषी है, तो उसकी याचिका को दावे के गुण-दोष पर विचार किए बिना सीमा पर खारिज किया जा सकता है।

35. अंतर्निहित वस्तु को *आर.वी केंसिंग्टन आयकर आयुक्त* - (1917) 1 केबी 486: 86 एलजेकेबी 257: 116 एलटी 136 (सीए) के प्रमुख मामले में स्क्रूटन, एल जे द्वारा निम्नलिखित शब्दों में संक्षेप में बताया गया है: (केबी.पी 514)

> "...यह कई वर्षों से न्यायालय का नियम रहा है, और जिसे बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है, कि जब कोई आवेदक एक तरफा बयान पर राहत प्राप्त करने के लिए न्यायालय में आता है तो उसे सभी भौतिक तथ्यों का पूर्ण और निष्पक्ष प्रकटीकरण करना चाहिए-यह तथ्यों को बताता है, कानून को नहीं। अगर वह मदद कर सकता है तो उसे कानून को गलत नहीं बताना चाहिए - न्यायालय को कानून का पता होना चाहिए। *लेकिन वह तथ्यों के बारे में कुछ नहीं जानता है,* और आवेदक को पूरी तरह से और निष्पक्ष रूप से तथ्यों को बताना चाहिए; और जिस दंड के द्वारा न्यायालय उस दायित्व को लागू करती है वह यह है कि यदि उसे पता चलता है कि तथ्यों को पूरी तरह से और निष्पक्ष रूप से नहीं कहा गया है, तो न्यायालय किसी भी कार्रवाई को आपास्त कर देगी जो उसने अपूर्ण बयान के विश्वास पर की है।

36. एक विशेषाधिकार उपचार निश्चित रूप से एक मामला नहीं है। असाधारण शक्ति का प्रयोग करते समय एक रिट न्यायालय निश्चित रूप से उस पक्ष के आचरण को ध्यान में रखेगी जो न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करता है। यदि आवेदक गलत बयान देता है या भौतिक तथ्य को दबाता है या न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास करता है, तो न्यायालय अकेले उसी आधार पर कार्रवाई को खारिज कर सकती है और यह कहकर मामले के गुण-दोष में प्रवेश करने से इनकार कर सकती है, *"आपने जो किया है उसके कारण हम आपके आवेदन को नहीं सुनेंगे।"* अनैतिक वादियों को धोखा देकर न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए व्यापक लोक हित में यह नियम विकसित किया गया है।

37. केंसिंग्टन आयकर आयुक्त (पूर्वोक्त), विस्काउंट रीडिंग में, मुख्य न्यायाधीश ने कहा: (केबी पीपी. 495-96)

> "...जहां किसी नियम या अन्य प्रक्रिया के लिए इस न्यायालय में एकतरफा आवेदन किया गया है, यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आवेदन के समर्थन में हलफनामा स्पष्ट नहीं था और तथ्यों को निष्पक्ष रूप से नहीं बताता था, लेकिन उन्हें इस तरह से कहा गया था कि न्यायालय को सही तथ्यों के बारे में गुमराह करने के लिए, न्यायालय को अपने स्वयं के संरक्षण के लिए और अपनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए, गुण-दोष की जांच के साथ आगे बढ़ने से इनकार करना चाहिए। यह न्यायालय में निहित एक शक्ति है, लेकिन इसका उपयोग केवल उन मामलों में किया जाना चाहिए जो न्यायालय के मन में यह विश्वास दिलाते हैं कि उसे धोखा दिया गया है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्यों की सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी जैसा कि वे हैं और जैसा कि वे आवेदक के हलफनामे में बताए गए हैं, और उन सभी बातों की सुनवाई की जाएगी जिनसे न्यायालय के दृष्टिकोण को प्रभावित करने का आग्रह किया जा सकता है जब वह हलफनामे को पढ़ता है और सही तथ्यों को जानता है। *लेकिन अगर इस जांच और सुनवाई के परिणाम में कोई संदेह नहीं है कि न्यायालय को धोखा दिया गया है, तो यह उस कार्यवाही में आवेदक से आगे कुछ भी सुनने से इनकार कर देगा, जिसे केवल एक भ्रामक हलफनामे के माध्यम से शुरू किया गया है।*"

38. उपरोक्त सिद्धांतों को हमारी कानूनी प्रणाली में भी स्वीकार किया गया है। स्थापित कानून के अनुसार, जो पक्ष संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय या उच्च न्यायालय के असाधारण अधिकार क्षेत्र का आह्वान करता है, उसे सच्चा, स्पष्ट और खुला माना जाता है। उसे बिना किसी आपत्ति के सभी भौतिक तथ्यों का खुलासा करना चाहिए, भले ही वे उसके खिलाफ हों। उसे "लुका-छिपी" खेलने या उन तथ्यों को "चुनने और चुनने" की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिन्हें वह प्रकट करना पसंद करता है और अन्य तथ्यों को प्रकट करने (छिपाने) या न करने (छिपाने) की अनुमति नहीं दी जा सकती है। रिट अधिकारिता का आधार ही सत्य और पूर्ण (सही) तथ्यों के प्रकटीकरण में निहित है। यदि भौतिक तथ्यों को दबाया या विकृत किया जाता है, तो रिट अदालतों का कार्य और अभ्यास ही असंभव हो जाएगा। याचिकाकर्ता को बिना किसी योग्यता के मांगी गई राहत से संबंधित सभी तथ्यों का खुलासा करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि " न्यायालय कानून को जानती है लेकिन तथ्यों को नहीं।

39. यदि केन्सिंगटन आयकर आयुक्त (पूर्वोक्त) में उल्लिखित प्राथमिक उद्देश्य को ध्यान में रखा जाता है, तो एक आवेदक जो स्पष्ट तथ्यों और "स्वच्छ स्तन" के साथ नहीं आता है, वह "गंदे हाथों" के साथ न्यायालय की रिट नहीं रख सकता है। भौतिक तथ्यों को दबाना या छिपाना कोई वकालत नहीं है। यह एक चालबाजी, हेरफेर, पैंतरेबाज़ी या गलत प्रतिनिधित्व है, जिसका न्यायसंगत और विशेषाधिकार क्षेत्राधिकार में कोई स्थान नहीं है। यदि आवेदक सभी भौतिक तथ्यों का निष्पक्ष और सही ढंग से खुलासा नहीं करता है, लेकिन उन्हें विकृत तरीके से बताता है और न्यायालय को गुमराह करता है, तो न्यायालय के पास अपनी रक्षा करने और नियम का निर्वहन करने के लिए अपनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए अंतर्निहित शक्ति है और गुणदोष के आधार पर मामले की जांच के साथ आगे बढ़ने से इनकार करता है। यदि न्यायालय उस आधार पर याचिका को अस्वीकार नहीं करता है, तो न्यायालय अपने कर्तव्य में विफल रहेगा वास्तव में, ऐसे आवेदक पर न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए न्यायालय की अवमानना का मामला चलाया जाना आवश्यक है।

16. हमारे लिए यहां यह बताना आवश्यक है कि एक ही विषय-वस्तु से संबंधित कार्यवाहियों की बहुलता को रोकने के लिए और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चुप रहकर या गुमराह करके भौतिक तथ्यों को दबाकर विभिन्न न्यायिक मंचों के माध्यम से असंगत आदेशों की मांग करने के खतरे को रोका

जाए। झूठा बयान देने के दायित्व से बचने के लिए दलीलों में बयान, हमारा विचार है कि पक्षों को विवाद के विषय के किसी भी भाग से संबंधित सभी कानूनी कार्यवाही और मुकदमों के विवरण का खुलासा करना होगा, जो उनकी जानकारी में है। यदि विवाद के पक्षों के अनुसार, कोई कानूनी कार्यवाही या अदालती मुकदमेबाजी लंबित नहीं थी या है, तो उन्हें कानून के अनुसार पक्षों के बीच विवाद को हल करने के लिए अपने अभिवचनों में अनिवार्य रूप से यह बताना होगा।

17. वर्तमान मामले में, चूंकि अपीलकर्ताओं ने मुकदमा दायर करने और उसकी बर्खास्तगी और सिविल न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील को खारिज करने का खुलासा नहीं किया है, इसलिए अपीलकर्ताओं को भौतिक तथ्यों के दमन के आधार पर खारिज किया जाना चाहिए। वे न्यायालय में साफ-सुथरे हाथों से नहीं आए हैं और उन्होंने कानून की प्रक्रिया का भी दुरुपयोग किया है। इसलिए, वे असाधारण, न्यायसंगत और विवेकाधीन राहत के हकदार नहीं हैं।

18. उपरोक्त के अलावा, हमने गुण-दोष के आधार पर भी मामले की जांच की है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, सर्वेक्षण संख्या 13 में 5 एकड़ 9 गुंटा हैं, जिनमें से 12 गुंटा ख़राब-ख भूमि थे। पूरे 5 एकड़ 9 गुंटे के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई थी और भूमि का कब्जा बहुत पहले ले लिया गया था। अपीलकर्ताओं का तर्क यह है कि उनके पिता, एम कृष्णा रेड्डी, सर्वेक्षण संख्या 13/2 और 13/4 में 1 एकड़ 26 गुंटा भूमि के मालिक थे। तदनुसार, 08 गुंटा भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है और इस भूमि के संबंध में मुआवजा नहीं दिया गया है। बैंगलोर विकास प्राधिकरण. द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों से पता चलता है कि 08 गुंटा भूमि खरब- ख भूमि है। इसलिए, इस भूमि के संबंध में मुआवजे के भुगतान का कोई सवाल ही नहीं है, हालांकि, इसे प्रारंभिक और अंतिम अधिसूचना में शामिल किया गया था। अंतिम अधिसूचना वर्ष 1967 में ही जारी की गई थी। अपीलार्थियों ने 1 एकड़ 18 गुंटा भूमि के लिए भी बढ़े हुए मुआवजे का दावा किया है और उन्होंने लगभग 34 वर्षों के अंतराल के बाद इस मुद्दे को अत्यधिक विलंबित स्तर पर उठाया है।

19. उपरोक्त वाद में अपीलार्थियों द्वारा समान विवाद उठाए गए हैं। उक्त वाद को खारिज कर दिया गया था और सिविल न्यायालय के निर्णय की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा 01.07.2003 को आरएफए संख्या 516/2003 में निम्नानुसार अवलोकन करके की गई थीः

"...तदनुसार, वर्तमान मामले में, विचारण न्यायालय ने मुद्दा संख्या 3 को एक प्रारंभिक मुद्दे के रूप में निर्णय दिया, जो मुकदमे की स्थिरता से संबंधित था और उन तथ्यों के आधार पर जो यथोचित रूप से विवादित नहीं हो सकते थे और जिनके संबंध में शुद्धता का अनुमान है, यह पाया गया है कि सर्वेक्षण संख्या 13 में भूमि की पूरी सीमा के संबंध में अधिग्रहण कार्यवाही अंतिम और निर्णायक हो गई है, वादी का मुकदमा सीपीसी की धारा 9 के तहत निहित रूप से वर्जित था और इसलिए विचारणीय नहीं था। मुझे विचारण न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण में कोई विकृति नहीं मिलती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलार्थी की ओर से यह तर्क प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था कि सर्वेक्षण संख्या 13/2 और 13/4 में केवल 1 एकड़ 18 गुंटा भूमि की सीमा बैंगलोर विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की गई थी और 8 गुंटा भूमि की शेष सीमा वादी के कब्जे में बनी हुई है। लेकिन अभिलेख पर रखी गई सामग्री ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि सर्वेक्षण संख्या 13 में भूमि का पूरा विस्तार बैंगलोर विकास प्राधिकरण द्वारा सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित किया गया था और उस पर मुआवजे का भुगतान किया गया था। यह विवाद में नहीं है कि वादी के पिता श्री कृष्ण रेड्डी ने उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष ने अंतिमता प्राप्त कर ली है और रिट न्यायालय अपील में प्रत्यर्थी/बैंगलोर विकास प्राधिकरण के समक्ष अधिग्रहण की कार्यवाही में भाग लिया था और वह अधिसूचित खतेदारों में से एक थे। उन परिस्थितियों में, जब भूमि का पूरा विस्तार अधिग्रहित कर लिया गया है, अपीलार्थी/वादी के दावे को स्वीकार करना मुश्किल है। इसलिए, मुझे अपीलार्थी द्वारा दायर इस अपील में कोई गुण-दोष नहीं मिलती है।

20. उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष ने अंतिमता प्राप्त कर ली है और रिट न्यायालय अपील में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर अपील में नहीं बैठ सकता है। अपील में न्यायालय द्वारा लिए गए निष्कर्ष अपीलार्थियों के लिए बाध्यकारी हैं।

21. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम इन अपीलों में कोई गुण-दोष नहीं पाते हैं और तदनुसार इन्हें खारिज कर दिया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो उनका निपटारा कर दिया जाएगा। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

अंकित ज्ञान याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

1. (2007) 8 एससीसी 449

2. (2008) 1 एससीसी 560

3. (2008) 12 एससीसी 481

दिब्या कुमारी की देखरेख में, अधिवक्ता सरवजीत सिंह द्वारा अनुवादित।